रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052026-272515
CG-DL-E-13052026-272515

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2026/वैशाख 21, 1948
No. 135] NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2026/VAISAKHA 21, 1948

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 मई, 2026

फा. सं. ए-50013/354/2024-ई-III.— पूर्ववर्ती सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय के दिनांक 18 अप्रैल, 1972 के संकल्प संख्या एफसी-47(3)/72, जिसके द्वारा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन किया गया था (जिसे इसके उपरांत उक्त संकल्प कहा गया है) के क्रम में, केंद्र सरकार उक्त संकल्प में एतद्वारा और संशोधन करती है:-

2. उक्त संकल्प में, -

(i) अनुच्छेद 2 में, -

(क) खंड (i) को, निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(i) अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग सह सदस्य (बाढ़)";

(ख) खंड (ii) को, निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) सदस्य (योजना), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग सह मुख्य अभियंता (बाढ़ मूल्यांकन)";

(ii) अनुच्छेद 5 में, खंड (ix) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"(x) बाढ़ प्रबंधन योजनाओं का मूल्यांकन जिनमें बाहरी सहायता प्राप्त योजनाएं तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और ब्रह्मपुत्र बोर्ड से प्राप्त योजनाएं शामिल हैं अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग सह सदस्य (बाढ़) के अधिकार क्षेत्र में होगा; और जहाँ भी आवश्यक हो, केंद्रीय जल आयोग के विशेषीकृत निदेशालयों से विशिष्ट तकनीकी सहायता प्राप्त की जाएगी।"

(xi) पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर (जिसकी देखरेख वर्तमान में ब्रह्मपुत्र बोर्ड करता है) विभिन्न नदी बेसिनों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना;

(xii) बाढ़ प्रबंधन कार्यों की बेहतर योजना बनाने के लिए नदी के आकृति विज्ञान और अवसादन संबंधी अध्ययन करना;

(xiii) "बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली" नामक डैशबोर्ड तैयार करना, जिसमें सभी राज्यों में किए गए बाढ़ प्रबंधन कार्यों और कटाव-रोधी कार्यों (जो पूरे हो चुके हैं और जो अभी प्रक्रियाधीन हैं) के साथ-साथ उनसे लाभान्वित क्षेत्रों और आबादी का विवरण दर्ज हो;

(iii) अनुच्छेद 7 को, निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"7. आयोग का मुख्यालय पटना में होगा। तथापि, अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग सह सदस्य (बाढ़) और सदस्य (योजना) सह मुख्य अभियंता (बाढ़ मूल्यांकन) केंद्रीय जल आयोग, मुख्यालय, नई दिल्ली से संबद्ध रहेंगे।"

कर्ण सिंह, संयुक्त सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों और केंद्रीय वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के राष्ट्रपति के सचिव और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सूचना हेतु भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करें।

कर्ण सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी- संकल्प संख्या एफसी-47(3)/72, दिनांक 18 अप्रैल, 1972 को भारत के राजपत्र, भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार संकल्प संख्या 47/7/84 एफसी, दिनांक 15 जुलाई, 1988 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water resources, River Development & Ganga Rejuvenation)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th May, 2026

F. No. A-50013/354/2024-E-III.— In continuation of the erstwhile Ministry of Irrigation and Power's Resolution No. FC-47(3)/72, dated the 18th April, 1972 constituting the Ganga Flood Control Commission (hereinafter referred to as the said resolution), the Central Government hereby makes the further amendments in the said resolution,-

2. In the said resolution, -

(i) in paragraph 2, -

(a) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely: -

"(i) Chairman, Ganga Flood Control Commission cum Member (Floods)";

(b) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely: -

"(ii) Member (Planning), Ganga Flood Control Commission cum Chief Engineer (Flood Appraisal)";

(ii) in paragraph 5, after clause (ix), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(x) appraisal of flood management schemes including externally aided and those received from National Disaster Management Authority and Brahmaputra Board will be under domain of Chairman, Ganga Flood Control Commission cum Member (Floods) with specific technical support from specialised Directorate's of Central Water Commission wherever required;

(xi) preparation of Master Plans for various river basins except North Eastern Region (currently looked after by Brahmaputra Board);

(xii) carrying out the river morphological studies and sedimentation studies for better planning of flood management works:

(xiii) Preparation of dashboard "Flood Management Information System" to map all flood management works, anti-erosion works (executed as well as ongoing) along with benefitted area and population across all States.";

(iii) for paragraph 7, the following paragraph shall be substituted, namely: -

"7. The Headquarters of the Commission will be at Patna. However, Chairman, Ganga Flood Control Commission cum Member (Floods) and Member (Planning) cum Chief Engineer (Flood Appraisal) shall be attached to the Central Water Commission, Head Quarter, New Delhi."

KARAN SINGH, Jt. Secy.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the State Governments of Bihar, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Madhya Pradesh, Delhi, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, Rajasthan, Himachal Pradesh and to the Union Ministries of Finance, Railways, Agriculture, Road Transport and Highways, Niti Aayog, Prime Minister's Office, Secretary to the President of India and Comptroller and Auditor General of India for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and State Governments of Bihar, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Madhya Pradesh, Delhi, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, Rajasthan and Himachal Pradesh be requested to publish it in the State Gazette for general information.

KARAN SINGH, Jt. Secy.

Note. The Resolution No. FC-47(3)/72, dated the 18th April, 1972 was published in the Gazette of India, Part 1, Section 1, and last amended vide resolution No. 47/7/84 FC, dated the 15th July, 1988.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA